

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 28/16-17

अपर सगाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री गति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जगाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर सगयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जगाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री अजेन्द्र बुज्जा नास्वी व अंचल निरीक्षक श्री सरवेश/ बाघ का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि गौजा ककुथा थाना नं0 192 गैरमजरुआ खाता नं0 24/79 दाग नं0 32 रकवा 01-10-00 किसम पत्नी बरिय श्री मो. राजी बुज्जा अंसारी पिता राजी साठवन अंसारी साकिन ककुथा के नाम से पंजी 2 में नया जगाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री मो. राजी बुज्जा अंसारी को दिनांक 28/7/16 समय 11:40 AM पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

28/7/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

अभिलेख उपर्युक्त। अंचल स्तर अंसारी उपस्थित। उन्हे
भूमि प्राप्त संबंधी दस्तावेज समर्पित किए। पीठासीन परिवार
अन्य कार्य में व्यस्त। अतः अभिलेख दिनांक 28/7/16 को रहे।

28/7/16
210 21

4/8/16

अभिलेख उपस्थापित। मु. अब्दुल समद अंसारी उपाध्यक्ष। पीठा-
यति पता/बकरी मन्च मार्ग में बस। अभिलेख दिनांक 1/8/16
को रहे।

oo
11/8/16

11/8/16

अभिलेख उपस्थापित।

श्री अब्दुलसमद अंसारी के पुत्र अब्दुल समद
अंसारी आश्रित बन्दोबस्ती संबंधी दस्तावेज
सम्बन्धित किया गया है इनके द्वारा बताया गया
कि कुल बन्दोबस्ती में प्राप्त भूमि में से
आंशिक भाग को बिक्री किया गया है हनु
उर्गेनारी से भूमि की बिक्री एवं दखल कुब्जा के
संबंध में जान्य उसी प्रकार अभिलेख दिनांक
26.8.16 को रहे।

oo
11/8/16

आ/204
28/8/16

अभिलेख उपस्थापित।

पुनः नोटिस निर्गत करें

केवल अधिकारी,
महागामा

19.08.2021

अभिलेख उपस्थापित।

कोविड-19 के कारण नोटिस निर्गत नहीं किया गया
है। कार्यवाहक सहायक को निर्देश दिया जाता है कि
दिनांक 27.08.2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अंग्रेज ताजरी
के न्यायालय में भूमि से संबंधित कागजों के
साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें

अंचल अधिकारी,
महागामा।

अब्दुलसमद अंसारी


27.12.2021

अभिलेख उपस्थापित।

हाजरी पत्री है। जमीन के संबंध में

कागजात की छापा प्रती डी गई। अभिलेख

दिनांक 31/8/21 को रखा।


अंचल अधीक्षक
महागामा

31/8/2021

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक सह - प्रभारी अंचल निरीक्षक

महागामा से प्रश्नगत का ऑन्य प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया।

प्रतिवेदनानुसार अवैध / सेंटेडरफ्ट पंजी- II

स्वैत को भूमि मौजा - बसआ भागा नं - 692

के गैरमजबूत खाता नं - 24 के अंश हाश नं -

32 का अंश रकवा 01-10-00 धू किसम-

पत्नी कटीम अनुमंडल पदाधिकारी, गोडा के

वंडोवस्ती के नं - 19/ 1992-93 के

साक्षम से मु. हबीबुल्ला अंलारी पिता-दाजी

सरवावत अंलारी ग्राम - मोहनपुर को प्राप्त


हुआ है। हबीबुल्ला अंलारी की मृत्यु हो गयी है।


वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर मु. हबीबुल्ला

अंलारी के वंशजों का दखल है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख

की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित 
अंचल अधिकारी,
महागामा।


अंचल अधिकारी,
महागामा।